भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 530

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत नल से जल

†530. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में पीने के पानी की आपूर्ति मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत अभी भी कितने घरों को कवर किया जाना है;

(ग) सभी ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम के शुभारंभ के समय, केवल 48.44 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 79.72 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 25.11.2024 तक, राज्य के 146.79 लाख ग्रामीण परिवारों में से, 128.16 लाख (87.31%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है और 18.63 लाख परिवारों को कवर किया जाना शेष है।

(ग) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत की स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन तथा रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता

प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। भारत सरकार महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जेजेएम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कई कदम उठाए गए हैं जिनमें संयुक्त विचार-विमर्श और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं।

(घ) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए आबंटित, जारी की गई निधि और महाराष्ट्र द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	केंद्रीय अंश					राज्य व्यय
		अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1	2019-20	248.12	847.97	345.28	593.4	308.04	431.79
2	2020-21	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
3	2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1935.63	377.98	477.98
4	2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,967.95
5	2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,370.96
6	2024-25*	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	1,947.45	2,199.69
कुल			**44,391.36**	**15,434.91**		**14,425.12**	**14,772.93**

* 25.11.2024 तक

****